


मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ  
नलकूप व पम्पसेट के लिए/बिजली के लिए आवेदन पत्र



सेवा में

सहायक/अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड(प्र०)

- 1 (क) प्रार्थी का नाम व पता अमरेश्वर सिंह 230 नलकूप विकास
- (ख) पिता का नाम श्री. कृष्णलाल सिंह
- (ग) नाम ग्राम जिसमें बिजली लेना है 230 नलकूप विकास
- 2 बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन 440 हार्स पावर 7 1/2  
प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है ।
- 3 प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी 0.1575  
जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उनका क्षेत्रफल 114  
संख्या स्थित आदि का पूरा विवरण.....
- 4 इन्तखाब की नकल संलग्न की गई ।
- 5 क्या नलकूप की बोरिंग खुदाई से की गई नहीं
- 6 नलकूप की बोरिंग का खण्ड विकास अधिकारी.....  
का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया ।
- 7 इससे पूर्व कृषि योग्य भूमि की सिंचाई किस साधन से की जाती है पंपसेट सहायक
- 8 प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटवर्ती नहर के बीच की दूरी  
यदि किसी नलकूप नहर की 100 मी० की दूरी से कम स्थिति है तो  
बिजली की स्वीकृति के लिए अन्नोत्पत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होगा । नहीं
- 9 नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे  
की दूरी यदि कोई हो ।
- 10 पाइप का व्यास चलनी(स्टेनर) की लम्बाई 9.5-10 मीटर  
बोरिंग(खुदाई) की गहराई स्रोत की सतह 10 मीटर कम  
पहले पहले पानी फूटने की सतह की गहराई.....  
संलग्नक: खसरा खतौनी/जोत वही छाया प्रति प्रमाणित ।

दिनांक

उपखण्ड अधिकारी की आख्या

प्रार्थी के हस्ताक्षर  
पत्र व्यवहार का पता  
अमरेश्वर सिंह  
230 नलकूप विकास  
विद्युत वितरण

कृषक का नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है । यह .....स्कीम में होगा तथा  
फीडर से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्यों पर विद्युत  
सम्बन्धी कोई बकाया नहीं है । सिंचाई का कार्य .....द्वारा किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी

निजी नलकूप के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या 114 में बोरिंग चालू हालत में है तथा  
सिंचाई का कार्य डीजल चालित इंजन से किया जा रहा है । बोरिंग है गया नल कूप वीजन 7 1/2  
अ०श० देने की संरक्षित की जाती है ।

खण्ड विकास अधिकारी  
विद्युत वितरण  
गोदाम

श्री. अमरेश्वर सिंह  
गोदाम